



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3703]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4867(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के तहत गठित ट्रस्ट, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनशेडयूल्ड इंटरचेंज फंड- वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि. (पैन AAIAS0980J) को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (क) गैर अनुसूचित विनिमय पूल संतुलन खाते में अवशिष्ट धन;
- (ख) गैर अनुसूचित विनिमय से अनुवांशिक अथवा संबंधित आय के लिए; और
- (ग) सावधि जमा तथा ऑटो स्वीप खाते पर ब्याज;
2. यह अधिसूचना, इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनशेडयूल्ड इंटरचेंज फंड- वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि. (पैन AAIAS0980J),'-
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 53/2018/फा. सं. 300196/41/2017-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064